कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1,लो0नि0 वि0,मथुरा

पत्रांक ....11148....... / सी0–20 दिनांक 01/12/2016

सेवा में,

जिलाधिकारी,
(आपूर्ति विभाग)
मथुरा।

विषयः–जनपद मथुरा में मथुरा वृन्दावन मांट नौहझील मार्ग (एम0डी0आर0–123) के कि0मी0–31 है0मी0 10 (चैनेज 30.882 कि0मी0) में स्थित ग्राम – सुरीर कला बांगर, तहसील–मांट, जिला–मथुरा के खसरा सं0 1025 खाता सं0 627 में सड़क के दायीं ओर, आवेदक मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक वास्ते मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0, 85/4, इस्पात भवन, तृतीय तल, संजय पेलेस आगरा द्वारा नवीन रिटेल आउटलेट (डीजल/पेट्रोल पम्प) के निर्माण के सम्बन्ध में।

संदर्भ :–आपका पत्रांक 1110/जि0पू0अ0–एन0ओ0सी0/2016 दिनांक 16.08.2016 एवं 1243/जि0पू0अ0–एन0ओ0सी0/2016 दिनांक 05.09.2016

विषयक प्रकरण में आवेदक मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक वास्ते मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0, 85/4, इस्पात भवन, तृतीय तल, संजय पेलेस आगरा ने मथुरा वृन्दावन मांट नौहझील मार्ग (एन0डी0आर0–123) के कि0मी0–31 है0मी0 10 (चैनेज 30.882 कि0मी0) में स्थित ग्राम – सुरीर कला बांगर, तहसील–मांट, जिला–मथुरा के खसरा सं0 1025 खाता सं0 627 में सड़क के दायीं ओर, सड़क की मध्य रेखा से 18.29 मी0 की दूरी पर बफर स्ट्रिप, 28.79 मी0 की दूरी पर प्रस्तावित रिटेल आउट लेट (पैट्रोल पम्प/डिस्पैन्सर यूनिट) तथा 44.79 मी0 की दूरी पर प्रस्तावित भवन के निर्माण करने की अनुमति हेतु संस्तुति निम्न शर्तों सहित दी जा सकती है:–

1– आवदेक को यह सुनिश्चित करना होगा कि पैट्रोल पम्प लगाने के उपरान्त किसी भी प्रकार से यातायात के संचालन में कोई अवरोध उत्पन्न न होने पाये।

2– आवेदक को प्रत्येक दशा में पैट्रोल पम्प परिसर के पानी का वहाब इस प्रकार रखना होगा कि पानी बिना अवरोधक के सीधा मार्ग सीमा समान्तर बनने वाली प्रस्तावित नाली में ही आये, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सड़क का पानी पहुँच मार्ग से इसी नाली में पहुँचे। पानी किसी भी दशा में सड़क पर एकत्रित न होने पाये।

3– मार्ग से पैट्रोल पम्प के स्थल का लेवल मार्ग की लेपित सतह से ऊँचा नहीं रखा जायेगा।

4– प्रस्तावित पैट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 के कोड सं0–12–1983 के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

5– प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की विशिष्टियों के अनुरूप कराया जाना आवश्यक होगा।

6– पैट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर निर्मित की जाने वाली इस पुलिया के ऊपर स्टील पाइप के केटिल केचर बना दिये जाय ताकि मार्ग का पानी सुरक्षा एवं सुविधापूर्वक रोड साइड नाली से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में वह सके। किसी भी दशा में नाली/नाले को बन्द नहीं किया जायेगा।

क्रमशः पेज 2 पर

SIDDHARTH MISRA
Chief Regional Manager
and Duly Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A. Govt. of India Enterprises)

D:\PWD Office\Anil A.E.\Vani\NOC.doc

Scanned by CamScanner

–प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के पहुंच मार्ग का ढाल लो0 निं0 वि0 के मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0–13 के नियमों के अनुसार निर्मित की जायेगी।

8– पैट्रोल पम्प के पैव्ड ऐरिया का लेविल सड़क के लेपित मार्ग के मध्य बिन्दु की सतह से 0.50 मी0 नीचा रखा जाय।

9– वफर स्ट्रिप के पास हेंजिज की ऊँचाई 60 से0मी0 से ऊपर कदापि न रखी जाय।

10–निर्माण स्थल वाली भूमि पर किसी भी प्रकार के कोई विवाद होने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

11–भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा करा लिया जाये, इस सम्बन्ध में विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

12–यदि उक्त भूमि किसी अन्य स्थानीय निकाय के अन्तर्गत आती हो तो आवेदक को सम्बन्धित विभाग द्वारा अलग से अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

13–लोक निर्माण विभाग के मार्ग चौड़ीकरण के समय यदि पैट्रोल पम्प को अन्य किसी स्थान पर शिफट करने की आवश्यकता हुई तो आवेदक द्वारा अपने खर्चे पर उक्त कार्य कराना होगा, इस क्षति के लिए विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा।

14–आवेदक को प्रस्तावित निर्माण से मार्ग तक एप्रोच–मार्ग की लीज पैट्रोल पम्प के निर्माण हेतु अनुमति मिलने के उपरान्त लो0 नि0 वि0 से लो0 नि0 वि0 की परिकल्पनाओं एवं नियमों के अनुसार लीज एग्रीमेन्ट में वर्णित शर्तों के रूप में अलग से करानी होगी अन्यथा यह अनुमति मान्य नहीं होगी।

संलग्न–मानचित्र दो प्रति में (मय संस्तुति सहित)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0 नि0 वि0
मथुरा

पत्रांक ..../...   दिनांक ....

प्रतिलिपिः–

1– श्री बी0के0 चौहान सहायक अभियन्ता, नि0ख0–1, लो0 नि0 वि0, मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2– अवर अभियन्ता (प्रा0) नि0ख0–1, लो0 नि0 वि0, मथुरा।

संलग्न– मानचित्र एक प्रति में (मय संस्तुति सहित)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0 नि0 वि0
मथुरा

SIDDHARTHA MISRA
Chief Regional Manager
and Duly Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A. Govt. of India Enterprises)

D:\PWD Office\Arun A.E.3\Vain\NOC.doc

Scanned by CamScanner